6

न्यायालय तहसीलदार कठूमर (अलवर) राज॰

सरकार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का मसारी बनाम म॰ शान्तीदेवी

प्रकरण अर्न्तगत धारा 91एलआर एक्ट

प्रकरण संख्या :- 23/2018/RA निर्णय दिनाँक :- 27/2/19

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम मसारी की आ.ख.न. 1231 कुल रकबा 0-73 किस्म जमीन गैरमुमकिन रास्ता में से 0.04 रकबे पर श्री म॰ शान्तीदेवी / हरिराम ब्राह्मण पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर बाड़ा कर कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का मसारी द्वारा दिनाँक 4/6/18 को उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय ताईद भू.अ.निरी. दांतोड़ा के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी म॰ शान्तीदेवी प॰ हरिराम जाति ब्राह्मण निवासी मसारी को भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी .... उपस्थित आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

उक्त रकबा नदी आ.ख.न. 1231 रकबा 0.73 में से 0.04 रकबे किस्म गैरमु॰रास्ता है जो नियमन के योग्य नहीं है लिहाजा गैरसायल को अतिक्रमित रकबे से बेदखल किया जाने के आदेश दिये जाते है एवं दण्ड स्वरूप लगान .... का 50 गुणा 19/- रुपये (उन्नीस रु॰) पैनल्टी आरोपित की जाती है मांवा कायमी हेतु टीआरए को लिखा जावे, पैनल्टी वसूली एवं बेदखली हेतु हल्का पटवारी मसारी भू.अ.निरी. दांतोड़ा .... को लिखा जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

[signature]

तहसीलदार
कठूमर, अलवर (राज॰)

प्रतिलिपि :- प॰ E को पालनार्थ
पत्रावली मय अमल पेश हो।

रा. लि. सं. 4 के पृष्ठ स 40 क्रम स 6
वर्ष 2018-19 ... 19/-
की कायमी की ग...

[signature] 12/3/19

तहसील ... सदर कानून...
कठूमर ...